

क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच (13).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पाँच (13) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3/35/2017/1/पांच (63) दिनांक 07-12-2018 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

1. अनुसूची में, -

i) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“43क	0710	सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई) फ्रोजन
43ख	0711	सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हो (उदाहरणार्थ सल्फर डाई आक्साइड से, ब्राईन में, सल्फर वॉटर में या अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है”;

ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“121क	4904 00 00	म्यूजिक, प्रिंटेड या मैनुस्क्रिप्ट में, चाहे बाउंड या इलेस्टेटड हो या नहीं”;
-------	---------------	--

iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मर्दों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खेराती उपयोग के लिए किया जाता हो”।
------	------------------	--

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच (13), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

No. F A-3-35-2017-1-V(13)

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A-3/35/2017/1/V (13) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department notification No. F A-3/35/2017/1/V (63) dated 30.06.2017, namely: -

In the said notification, -

1. In the schedule,

i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

"43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption";

ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated";
-------	---------------	--

iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"153	Any chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State/ Union Territory, or any public servant, by way of public auction by the government, where auction proceeds are used for public or charitable cause".
------	----------------	---

2. This notification shall come into force on the 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.